



2026:AHC:27074

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3348 / 2026

बृज मोहन यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजीत शुक्ला, नीलम मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर को मुकदमा संख्या 89/159 / 1991 (नया संख्या 16278 / 2025) कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202514360616278 (बृज मोहन बनाम सुखदेव) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष काफी समय से लंबित है और पर्याप्त समय बीत चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर को उपरोक्त मुकदमे को कानून के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"